INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के कार्यान्वयन (परिपालन) के संदर्भ में जिला दक्षिण–पश्चिम, नई दिल्ली के नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों की जागरूकता एवं मुद्दों का समीक्षात्मक अध्ययन

(A Critical study of awareness and issues of Municipal Corporation Primary Schools of District South-West, New Delhi in the context of implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)

Dr. Naresh Kumar
Assistant Professor,
District Institute of Education & Training,
Ghumanhera, SCERT, New Delhi (India)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/09.2022-89475558/IRJHIS2209005

सारांश :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९के अन्तर्गत ६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम गर्व के साथ बेहतर बुनियादी शिक्षा पाने के लिए हर बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने का आधार है। यह अधिकार प्रत्येक बच्चे के लिए न केवल गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है; अपितु शिक्षा के संदर्भ में यह अधिकार परिवार, समुदाय, स्थानीय प्राधिकरणों एवं राज्य की भूमिका तथा परस्पर सहायता को भी सुनिश्चित करता है।यह अधिनियम राज्य और केन्द्र सरकारों पर एक बच्चे के मौलिक अधिकारों को निष्पादित करने के लिए कानूनी दायित्व डालता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ उन वंचित बच्चों के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता है जो बाल श्रम या प्रवासी बच्चों जैसी परिस्थितियों में जकड़े हों या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य ऐसे ही कारणों से शिक्षा से वंचित रह रहे हों। इस अधिकार को भारत के संविधान (८६वां संशोधन २००२) में अनुच्छेद–२१ए के रूप में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ को ४ अगस्त २००९ को लोकसभा में बहुमत से पारित किया गया तथा १ अप्रैल, २०१० से यह समूचे भारत देश में लागू हुआ।

मुख्य शब्द : *शिक्षा का अधिकार, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–२००९, प्राथमिक विद्यालय, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, सहभागी विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय शिक्षक, विद्यालय मुख्य–अध्यापक*

प्रस्तावना :

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ का पास होना भारतवर्ष के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक के अन्तर्गत सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक से माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। यह अधिनियम गर्व के साथ बेहतर बुनियादी शिक्षा पाने के लिए हर बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने का आधार है। यह अधिकार प्रत्येक बच्चे के लिए न केवल गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है; अपितु शिक्षा के संदर्भ में यह अधिकार परिवार, समुदाय, स्थानीय प्राधिकरणों एवं राज्य की भूमिका तथा परस्पर सहायता को भी सुनिश्चित करता है। विश्व में ऐसे कुछ ही देश हैं जहाँ हर बच्चे को यथासंभव उसकी पूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए नि:शुल्क और बाल अनुकूल शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का हमारा अधिनियम उन अन्य देशों के लिए प्रेरणा है जो अपने देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान एवं सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत एवं प्रतीक्षा में हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ उन वंचित बच्चों के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता है जो बाल श्रम या प्रवासी बच्चों जैसी परिस्थितियों में जकड़े हों या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई,

लिंग या अन्य ऐसे ही कारणों से शिक्षा से वंचित रह रहे हों। इस अधिनियम के द्वारा कक्षाओं में भय, तनाव और चिंता की भावना को मिटाने के लिए शारीरिक सजा पर प्रतिबंध लगाकर और जहाँ तक हो सके मातृभाषा में ही निर्देश इत्यादि देकर समानता के साथ बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहभागी विद्यालय प्रबंधन पर भी व्यापक ज़ोर दिया गया है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अगस्त, २००९ में पारित हुआ और राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद इसे (इस अधिकार को) ०१ अप्रैल २०१० से लागू कर दिया गया। शिक्षा से संबंधित यह अधिकार सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय प्रावधान है।

अध्ययन की आवश्यकता :

यद्यपि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू हुए कई वर्ष हो चुके को हैं; लेकिन फिर भी यह अधिकार व्यावहारिक रूप में पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आम (साधारण) व्यक्ति की तो बात दूर स्वयं शिक्षा एवं इस अधिकार से जुड़े लोगों विशेषकर शिक्षा कर्मियों को भी इस अधिकार के विषय में समुचित जानकारी एवं ज्ञान का अभाव है; वहीं दूसरी ओर इस अधिकार के क्रियान्वयन के संदर्भ में बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं जो इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन्हीं संदर्भों एवं बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन कार्य को सम्पन्न किया गया है।

उद्देश्य :

१. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय मुख्य–अध्यापकों/मुखियाओं की जागरुकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करना।
२. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की जागरूकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करना।
३. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य मुद्दों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना।
४. विद्यालय मुख्य–अध्यापकों/मुखियाओं एवं अध्यापकों की जागरूकता के आधार पर इस अधिकार से संबंधित उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं एवं क्षेत्रों का पता लगाना।

विधि एवं पद्धति :

इस अध्ययन से संबंधित कार्य को निम्न चरणों के आधार पर सम्पन्न एवं सम्पादित किया गया है–

- **प्रतिदर्श–**
  प्रतिदर्श के रूप में जिला दक्षिण–पश्चिम, नई दिल्ली के ३५ नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया।
- **प्रश्नावली/उपकरण का** विकास अथवा निर्माण–
  इस अध्ययन से संबंधित जागरूकता एवं मुद्दों से संबंधित आँकड़ों एवं सूचना प्राप्ति संग्रहण के संदर्भ में एक प्रश्नावली का निर्माण एवं उसका अनुप्रयोग किया गया।
- **आँकड़ों का संग्रहण–**
  आँकड़ों का संग्रहण नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य–अध्यापकों एवं अध्यापकों से विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, अंत: सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नियमित कार्य दिवसों के दौरान यादृच्छिक रूप से किया गया एवं इस संदर्भ में संबंधित प्रश्नावली को अनुप्रयोग में लाया गया।
- **विश्लेषण एवं व्याख्या–**
  आँकड़ों/सूचना संग्रहण के पश्चात् उनका उचित सांख्यिकी विश्लेषण किया गया एवं उसके आधार पर अध्ययन से संबंधित परिणामों की उचित समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न प्रकार है–

विद्यालय प्रधानाचार्यों/मुखियाओं से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण :

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालय मुखियाओं सें संबंधित भाग–क में कुल १६ विद्यालय मुखियाओं के सम्मुख शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित एक प्रश्नावली प्रस्तुत की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्नावली में १५ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को समावेशित किया गया था। इस संदर्भ में १६ विद्यालय मुखियाओं/प्रधानाचार्यों के सम्मुख कुल २४० प्रश्न (१६X१५=२४०) प्रश्नावली के रूप में प्रस्तुत किए गए जिनमें से ५८.७५ प्रतिशत प्रधानाचार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित समुचित

जानकारी रखते थे; जबकि इसके विपरीत ४१.२५ प्रतिशत विद्यालय प्रधानाचार्यों को इस अधिकार के संदर्भ में उचित एवं पर्याप्त जानकारी का अभाव था।

तालिका–१

विद्यालय प्रधानाचार्यों/मुखियाओं से संबधित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण से संबंधित तालिका–१

Questions	Right Answered (Total No.HoS=16)	% age	Wrong Answered (Total No.HoS=16)	%age
Question-1	14	87.5	2	12.5
Question-2	15	93.75	1	6.25
Question-3	3	18.75	13	81.25
Question-4	11	68.75	5	31.25
Question-5	12	75	4	25
Question-6	4	25	12	75
Question-7	12	75	4	25
Question-8	16	100	0	0
Question-9	0	0	16	100
Question-10	4	25	12	75
Question-11	0	0	16	100
Question-12	16	100	0	0
Question-13	5	31.25	11	68.75
Question-14	13	81.25	3	18.75
Question-15	16	100	0	0
Total Questions	**141/240**	**58.75**	**99/240**	**41.25**

	Wrong Answered	%age	Not Answered	%age	Task 1/10	%age	Task 2/10	%age	Task 4/10	%age
Question-16 (Task)	5	31.25	3	18.75	3	18.75	3	18.75	2	12.5

	Right Answered (Total No.HoS=16)	%age	Wrong Answered (Total No.HoS=16)	%age	Not Answered (Total No.HoS=16)	%age
Question-17	1	6.25	3	18.75	12	75
Question-18	8	50	1	6.25	7	43.75
Question-19	4	25	8	50	4	25

	Not Answered	%age	Issues 2/10	%age	Issues 3/10	%age	Issues 4/10	%age	Issues 8/10	%age	Issues 9/10	%age
Question-20 (Issues)	8	50	1	6.25	3	18.75	2	12.5	1	6.25	1	6.25

विद्यालय अध्यापकों/शिक्षकों से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण :

अनुसंधान अध्ययन का यह भाग जो कि विद्यालय शिक्षकों से संबंधित था के भाग–क में कुल ७४ विद्यालय शिक्षकों के सम्मुख शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित एक प्रश्नावली प्रस्तुत की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्नावली में १५ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को समावेशित किया गया था। इस संदर्भ ७४ विद्यालय शिक्षकों के सम्मुख कुल १११० प्रश्न (७४ग्१५त्र१११०) प्रश्नावली के रूप में प्रस्तुत किए गए जिनमें से ४५.६७ प्रतिशत अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित समुचित जानकारी अथवा ज्ञान था; जबकि इसके विपरीत ५४.३३ प्रतिशत विद्यालय अध्यापकों को इस अधिकार के संदर्भ में उचित एवं पर्याप्त जानकारी का अभाव था।

तालिका–२

विद्यालय अध्यापकों/शिक्षकों से संबंधित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण से संबंधित तालिका–२

Question	Right Answered (Total No. of Teachers = 74)	%age	Wrong Answered (Total No. of Teachers = 74)	%age
Question-1	22	29.73	52	70.27
Question-2	25	33.75	49	66.25
Question-3	19	25.67	55	74.33
Question-4	36	48.65	38	51.35
Question-5	49	66.22	25	33.78
Question-6	33	44.59	41	55.41
Question-7	38	51.35	36	48.65
Question-8	70	94.6	4	5.4
Question-9	8	10.81	66	89.19
Question-10	9	12.16	65	87.84
Question-11	7	9.46	67	90.54
Question-12	66	89.19	8	10.81
Question-13	14	18.92	60	81.08
Question-14	41	55.41	33	44.59
Question-15	70	94.6	4	5.4
Total Questions	**507/1110**	**45.67**	**603/1110**	**54.33**

	Wrong Answered	%age	Not Answered	%age	Task 1/10	%age	Task 2/10	%age	Task 3/10	%age

Question-16 (Task)	5	6.76	10	13.51	29	39.19	26	35.14	4	5.4

	Right Answered (Total No. of Teachers 74)	%age	Wrong Answered (Total No. of Teachers 74)	%age	Not Answered (Total No. of Teachers 74)	%age
Question-17	1	1.35	37	50	36	48.65
Question-18	38	51.35	10	13.51	26	35.14
Question-19	13	17.56	28	37.85	33	44.59

	Not Answered	% age	Issues 1/10	% age	Issues 2/10	% age	Issues 3/10	% age	Issues 4/10	% age	Issues 5/10	% age
Question-20 (Issues)	23	31.08	0	0	2	2.7	7	9.46	6	8.11	4	5.41
			Issues 6/10	% age	Issues 7/10	% age	Issues 8/10	% age	Issues 9/10	% age	Issues 10/10	% age
			13	17.56	5	6.76	6	8.11	3	4.05	5	6.76

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करने से संबंधित मुद्दें एवं बातें :

अनुसंधान के दौरान किए गए आँकड़ों के संग्रह एवं उनके विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों/विद्यालय मुखियाओं के द्वारा निम्नलिखित मुद्दें एवं बातें बताई गई जोकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा कर रहे हैं–

- शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव।
- माता–पिता अथवा अभिभावक की आर्थिक मजबूरी।
- बालक का बाल श्रम में लगे रहना अथवा व्यस्त होना।
- विद्यालयों का समीप न होना अर्थात् नजदीकी विद्यालयों की कमी।
- परम्परा, रूढ़िवादिता एवं जातिवाद तथा माता–पिता का अशिक्षित अथवा निरक्षर होना।
- प्रवेश बाधा/प्रवेश दिलाने में कठिनाई होना अथवा आना।
- लैगिंक भेदभाव एवं शारीरिक दंड तथा बच्चे का बीच में ही विद्यालय छोड़ देना।
- माता–पिता द्वारा बच्चे को विद्यालय से निकाल लेना।
- अध्यापकों का अन्य कार्यों में व्यस्त होना अथवा लगाया जाना।
- विद्यालय में पुस्तकों एवं अध्यापकों की कमी होना।
- अध्यापकों में रूचि एवं सहनशीलता की कमी होना।
- अध्यापकों एवं माता–पिता के मध्य सम्प्रेषण की कमी।
- माता–पिता अथवा अभिभावकों का स्थानान्तरण होना।
- शिक्षा के स्तर में गिरावट होना एवं शिक्षा से संबंधित उचित नीतियों का न होना।
- बालकों को अनुत्तीर्ण (फेल) न करना तथा बालकों का विद्यालय में न जाना अथवा अनुपस्थित होना।
- अध्यापकों के द्वारा बच्चों से काम करवाना तथा शिक्षा के प्रति बच्चों की उदासीनता।
- विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों का सही अनुपात न होना।
- उच्च अधिकारियों द्वारा सहयोग न करना तथा अच्छे एवं उचित प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी।

- अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी तथा आपसी समन्वय का अभाव।
- बेरोजगारी एवं आर्थिक तंगी तथाकुपोषण एवं बीमारियाँ।
- विद्यालय में साफ़–सफ़ाई का अभाव एवंउदासीन शिक्षण विधियाँ
- स्थानीय भाषी शिक्षकों का अभाव तथा उचित पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन का न होना।
- विद्यालय में खेल के मैदान का अभाव तथा विद्यालयों में शौचालयों एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी।
- लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता–पिता एवं समाज की उदासीनता।
- संतुलित भोजन का न मिलना एवं बच्चों का सम्पूर्ण विकास न होना।
- शिक्षा एवं विद्यालयों से संबधित नियमों एवं उचित दिशा–निर्देशों का ठीक से पालन न होना।
- विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का न होना तथा बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में न बैठाना।
- विद्यालयों में विशेष अध्यापकों की कमी अर्थात् अभाव होना, आदि।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, २००९ के संदर्भ में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताएं एवं क्षेत्र :

शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित विद्यालय मुख्य–अध्यापकों/मुखियाओं एवं अध्यापकों की जागरूकता के आधार पर इस अधिकार से संबंधित उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं एवं क्षेत्रों को निम्न प्रकार सूचीबद्व किया जा सकता है–

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विषय में पर्याप्त एवं समुचित जानकारी प्रदान की जाए।
- अधिनियम एवं इससे संबंधित सभी अध्यायों तथा अनुसूची से संबंधित समस्त जानकारी सविस्तार प्रदान की जाए।
- विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्यदिवस एवं प्रति सप्ताह कार्य धंटों से संबधित उचित जानकारी एवं ज्ञान प्रदान किया जाए।
- इस अधिकार के संदर्भ में बालकों के अधिकार एवं उनका संरक्षण के विषय में उचित जानकारी प्रदान की जाए एवं बालकों के अधिकारों एवं उनका संरक्षण से संबधित जागरूकता को बढ़ाया जाए तथा इस संदर्भ में विचार–गोष्ठी एवं प्रश्नमंच आदि का आयोजन भी किया जाए।
- शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में बच्चों के दाखिले एवं उनके स्थानान्तरण से संबंधित नियमों एवं कार्यों के बारे में उचित जानकारी अध्यापकों एवं अभिभावकों को प्रदान की जाए।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रमुख दस कार्यों के विषय में अथवा उनकी जानकारी के संदर्भ में अध्यापकों के लिए विशेष विचार–गोष्ठी अथवा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए।
- इस अधिकार से संबंधित मान और मानकों के विषय में प्रत्येक विद्यालय के मुखियाओं एवं अध्यापकों को उचित जानकारी एवं संबंधित सूचना प्रदान की जाए।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में प्रत्येक अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विषय में जानकारी एवं ज्ञान प्रदान किया जाए।
- अध्यापकों को इस अधिकार के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना एवं उससे संबंधित अधिकार एवं कार्यों के विषय में उचित जानकारी प्रदान की जाए।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में समय–समय पर अथवा आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रकार की जानकारियों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाए और यदि आवश्यक हो एवं संभव हो सके तो समय–समय पर इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की विचार–गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाए।

सारांश :

इस अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि यद्यपिनि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ का पास होना भारतवर्ष के बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके द्वारा भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।यद्यपि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं; लेकिन फिर भी यह अधिकार व्यावहारिक

रूप में पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आम (साधारण) व्यक्ति की तो बात दूर स्वयं शिक्षा एवं इस अधिकार से जुड़े लोगों विशेषकर शिक्षा कर्मियों को भी इस अधिकार के विषय में समुचित जानकारी एवं पर्याप्त ज्ञान का अभाव है; वहीं दूसरी ओर इस अधिकार के क्रियान्वयन के संदर्भ में बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं जो इसके मार्ग में अवरोध एवं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है इस अधिकार के संदर्भ में शिक्षा के जुड़े लोगों के साथ–साथ समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को इस अधिकार एवं इसके मार्ग में अवरोध एवं बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों के संदर्भ में उचित जानकारी एवं ज्ञान प्रदान किया जाए एवं उन मुद्दों से डटकर मुकाबला किया जाए अर्थात् इसके मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार की बाधाओं एवं अवरोधों को समाप्त किया जाए तथा साथ ही विभिन्न माध्यमों के द्वारा समाज में इस अधिकार के संदर्भ में व्यापक जागरूकता का विकास किया जाए तभी हम शिक्षा के अधिकार को सही प्रकार अर्थात् ठीक तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे और समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे अर्थात् उसको उसका अधिकार (शिक्षा का अधिकार) दिला पाएंगे अर्थात् प्रदान कर पाएंगे।

संदर्भ :

१. भारत सरकार: नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९

२. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (गजट संस्करण)

३. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के अन्तर्गत आदर्श नियम

४. सिन्हा, प्रो. शांता: शिक्षा का अधिकार;शिक्षा–विमर्श; नवम्बर–दिसम्बर पृष्ठ २८–३०; २००९.

५. कुमार, प्रो. कृष्ण: शिक्षा का अधिकार कानून: एक बातचीत; शिक्षा–विमर्श; नवम्बर–दिसम्बर पृष्ठ १७–२७; २००९.

६. यादव, डॉ. नरेश कुमार: शिक्षा के दार्शनिक एक समाजशास्त्रीय आधार, आरोही पब्लिकेशन, नई दिल्ली

७. जैन, पंकज एवं ढ़ोलकिया, रविन्द्र एच.: शिक्षा का अधिकार कानून: क्रियान्वयन की व्यवहार्यता; शिक्षा–विमर्श; नवम्बर–दिसम्बर पृष्ठ ३१–४३; २००९.

८. यूनिसेफ–नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यूनिसेफ़ हाउस, ७३ लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–११०००३

९. रैना, विनोद: शिक्षा का अधिकार कानून: कोठारी आयोग के समान स्कूल के सिद्धात से तुलना; शिक्षा–विमर्श; नवम्बर–दिसम्बर पृष्ठ ८–१६; २००९.

10. http://education.nic.in/Elementary/pdf

11. http://www.righttoeducation.in/enrolment-school-rises

12. Hindi_policy Guide RTE_final.pdf (www.prsindia.org)

13. http://education.nic.in/Elementary/Model_Rules.pdf

14. http://education.nic.in/Elementary/free%20and%20 compulosry.pdf

15. http://www. Rteforumindia.org/content/centre-likely-enhance-funding-rte

16. http://infochangeindia.org/education/backgrounders/challenges-in-implementing-the-rteact.

17. RTE Act: Key gaps in policy and implementation; Azim Premji Foundation; August 20, 2011.

18. The Gazette of India: The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

19. SCERT-Handout on Right to Education act, 2009 and Model Rules under the Right of Children, SCERT, Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024